

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

श्री बाबुलाल लौहार	बनाम	सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य
--------------------	------	---

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 27 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
31.10.2025	<p>वकील अपीलांट उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अंतर्गत धारा 92-ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने से अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है। अपील अपीलांट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। तहत का अभिलेख लोटाया जावें।</p>		